भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 153

10 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

कोविड टीकाकरण के कारण आकस्मिक मृत्यु होना

153*. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 टीकों से संभावित रूप से जुड़ी आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं संबंधी रिपोटों का आकलन करने के लिए कोई जांच चल रही है और क्या जांच के कोई प्रारंभिक निष्कर्ष उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार टीके से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं और मौतों की पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड स्थापित कर रही है;

(ग) क्या सरकार, विस्तृत जांच के पश्चात्, ऐसे व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने के लिए पीएम केयर्स फंड का उपयोग करने पर विचार करेगी जिनकी टीकाकरण के बाद आकस्मिक मृत्यु हो गई हो; और

(घ) टीके के दुष्प्रभावों की रिपोर्टिंग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित व्यक्तियों के लिए समय पर चिकित्सीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 10 दिसंबर, 2024 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 153* के उत्तर में दिया जाने वाला विवरण

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया है कि आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (एनआईई) ने मई-अगस्त 2023 के दौरान भारत के 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 47 तृतीयक देखभाल अस्पतालों में "भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अस्पष्टीकृत आकस्मिक मृत्यु से जुड़े कारक - एक बहुकेंद्रित मैच्ड केस-कंट्रोल अध्ययन" शीर्षक से एक अध्ययन किया। केस बिना किसी ज्ञात सह-रुग्णता के स्पष्ट रूप से स्वस्थ व्यक्ति थे, जिनकी 1 अक्टूबर 2021-31 मार्च 2023 के दौरान अचानक (अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे से कम या मृत्यु से 24 घंटे पहले स्पष्ट रूप से स्वस्थ देखे गए) अस्पष्टीकृत कारणों से मृत्यु हो गई। आयु, लिंग और पड़ोस के लिए मिलान किए गए प्रत्येक केस के लिए चार कंट्रोल शामिल किए गए। कोविड-19 टीकाकरण/संक्रमण, कोविड-19 के बाद की स्थिति, आकस्मिक मृत्यु का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान, मनोरंजन के लिए नशीली दवाओं का उपयोग, शराब पीने की आवृत्ति, अत्यधिक शराब पीने और मृत्यु से दो दिन पहले अत्यधिक तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि के संबंध में मामलों/साक्षात्कार किए गए कंट्रोल के बीच डेटा के संबंध में जानकारी एकत्र की गई।

विश्लेषण में कुल 729 मामले और 2916 कंट्रोल शामिल किए गए थे। यह पाया गया कि कोविड-19 वैक्सीन की कोई भी खुराक को लेने से अस्पष्टीकृत आकस्मिक मृत्यु की संभावना कम हो गई। कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराक लेने से आकस्मिक मृत्यु की संभावना काफी कम हो गई। कोविड-19 के कारण पूर्व में अस्पताल में भर्ती होना, आकस्मिक मृत्यु का पारिवारिक इतिहास, मृत्यु/साक्षात्कार से 48 घंटे पहले अत्यधिक शराब पीना, मनोरंजन के लिए नशीली दवा/पदार्थ का उपयोग करना तथा मृत्यु/साक्षात्कार से 48 घंटे पहले अत्यधिक तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि करने से अचानक मृत्यु की संभावना बढ़ी हुई पाई गई।

इसलिए, अध्ययन में पाया गया कि कोविड-19 टीकाकरण से भारत में युवा वयस्कों में आकस्मिक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा। कोविड-19 के कारण पूर्व में अस्पताल में भर्ती होना, आकस्मिक मृत्यु का पारिवारिक इतिहास और कुछ जीवनशैली संबंधी व्यवहारों के कारण आकस्मिक मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।

(ख): कोविड-19 वैक्सीन प्रशासन सेल ने बताया है कि टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं (एईएफआई) की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली पहले से ही राष्ट्रीय एईएफआई समिति के मार्गदर्शन में लागू है, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो प्रत्येक वैक्सीन से संबंधित प्रतिकूल घटनाओं और रिपोर्ट की गई मौतों का मूल्यांकन करते हैं। ये स्वतंत्र विशेषज्ञ मामले के उपलब्ध विवरण और वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रतिकूल घटनाओं के करणीय संबंध पर निर्णय लेते हैं।

(ग): भाग (क) में उल्लिखित अध्ययन ने निर्णायक रूप से प्रलेखित किया है कि कोविड-19 टीकाकरण से भारत में युवा वयस्कों में अस्पष्टीकृत आकस्मिक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ा है, और इसके बजाय इसने अस्पष्टीकृत आकस्मिक मृत्यु की संभावना को कम कर दिया है।

(घ): भारत सरकार ने टीके के दुष्प्रभावों की रिपोर्टिंग के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने तथा प्रभावित व्यक्तियों के लिए समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीतियां लागू की हैं।

1) कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं (एईएफआई) की रिपोर्टिंग को मजबूत करने के लिए जिला टीकाकरण अधिकारियों को निर्देश देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

2) कोविड-19 वैक्सीन AEFI की रिपोर्टिंग के लिए, SAFEVAC (AEFI के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन) को Co-WIN में एकीकृत किया गया और AEFI की रिपोर्टिंग Co-WIN SAFEVAC के माध्यम से की जाती है। Co-WIN SAFEVAC में टीका लगाने वाले, जिला टीकाकरण अधिकारी और लाभार्थी द्वारा स्वयं AEFI की रिपोर्टिंग का प्रावधान है।

3) कोविड-19 टीकों के प्रतिकूल प्रभावों के विवरण के साथ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

4) AEFI से संबंधित जानकारी वाली सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री (IEC) को स्थानीय भाषा में अनुवाद करने और टीकाकरण सत्र स्थलों पर प्रदर्शित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।

5) सोशल मीडिया और विभिन्न टीकाकरण भागीदारों की सहभागिता के माध्यम से AEFI से संबंधित जानकारी और संदेशों के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई।

6) प्रभावित व्यक्तियों के लिए समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए, टीकाकरण के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना के लिए सत्र स्थल पर 30 मिनट के लिए टीका प्राप्तकर्ताओं की अनिवार्य निगरानी, प्रत्येक टीकाकरण स्थल पर एनाफिलैक्सिस किट की उपलब्धता और समय पर उपचार के लिए टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना (AEFI) प्रबंधन केंद्र में तत्काल रेफर करने जैसे निवारक उपाय किए गए हैं। ऐसे मामलों के AEFI प्रबंधन को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।
